राजस्थान सरकार
परिवहन विभाग

क्रमांकः– प.7(131)परि/नियम/मु./2014/पार्ट–I /57594 जयपुर, दिनांक :– 19.9.2014

कार्यालय आदेश 26/2014

राज्य में पंजीकृत वाहनों को अन्य राज्यों हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) जारी करने के पश्चात कतिपय कारणों से पुनः राज्य में आने पर ऐसे वाहनों एवं जारी किये जा चुके अनापत्ति प्रमाण पत्र के सरेण्डर करने के बारे में समय–समय पर विभिन्न कार्यालयों द्वारा मुख्यालय से मार्गदर्शन चाहा जाता है। यद्यपि मोटरयान अधिनियम, 1988 एवं केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 में अनापत्ति प्रमाण पत्र सरेण्डर किए जाने बाबत किसी प्रकार के स्पष्ट प्रावधान उपलब्ध नहीं हे तथापि परिस्थितिजन्य कारणों से अनापत्ति प्रमाण पत्र सरेण्डर करने के प्रकरण यदा कदा आते रहते है। इस संबंध में प्रकरण का सक्षम स्तर से परीक्षण किया जाकर निम्नानुसार निर्देश जारी किए जाते हैं :–

1. अनापत्ति प्रमाण पत्र सरेण्डर करने हेतु घोषित कारणों की पूर्ण संतुष्टि के पश्चात् ही आवेदन स्वीकार किया जावे।
2. पंजीयन अधिकारी को आवंटित नेशनल रजिस्टर (NR) लॉग इन आई.डी. पर उस अनापत्ति प्रमाण पत्र के अन्य राज्यों में उपयोग नहीं होने को सुनिश्चित किया जावे।
3. अनापत्ति प्रमाण पत्र की समस्त मूल प्रतियां संलग्न करने पर ही आवेदन स्वीकार किया जावे।
4. यह भी सुनिश्चित किया जावे कि राज्य सरकार को अनापत्ति प्रमाण पत्र सरेण्डर करने से किसी भी प्रकार के कर की हानि न हो। यदि वाहन के संबंध में किसी भी प्रकार का कर शेष निकलता है, तो आवेदक द्वारा उक्त राशि जमा कराने के पश्चात ही अनापत्ति प्रमाण पत्र सरेण्डर की जावे।
5. अनापत्ति प्रमाण पत्र के अन्य राज्य में उपयोग में नही लिये जाने बाबत् एवं प्रस्तुत किए गए तथ्य असत्य पाए जाने पर अनापत्ति प्रमाण पत्र सरेण्डर की कार्यवाही निरस्त करने बाबत् एवं समस्त कर भुगतान करने संबंधी शपथ पत्र लिया जावेगा।

उक्त प्रक्रिया को अपनाकर अनापत्ति प्रमाण पत्र सरेण्डर के आवेदनों का निस्तारण किया जावें।

प्रमुख शासन सचिव
एवं परिवहन आयुक्त

क्रमांकः– प.7(131)परि/नियम/मु./2014/पार्ट–I/57595-600 जयपुर, दिनांक :– 19/9/2014

प्रतिलिपिः–

1. निजी सचिव, परिवहन आयुक्त एवं प्रमुख शासन सचिव।
2. समस्त मुख्यालय अधिकारीगण।
3. समस्त अपर परिवहन आयुक्त (जोन)।
4. समस्त प्रादेशिक/अति. प्रादेशिक/जिला परिवहन अधिकारी।
5. श्री संजय सिंघल, एसीपी को विभाग की वेबसाईट की अपडेटिंग हेतु।
6. रक्षित पत्रावली।

अपर परिवहन आयुक्त (नियम)

E:\Komal Prajapat\Office Orders